बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

स्वीकृत्यादेश

पत्रांकः यो09 / S.H.A-12/2023 120 स्वी0 / यो0वि0,पटना,दिनांक 24 फरवरी, 2025

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः **मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना अन्तर्गत जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, किशनगंज, बक्सर एवं पटना के भवन एवं अन्य संरचनाओं की मरम्मति संबंधी कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में तकनीकी अनुमोदित कुल प्राक्कलित राशि मो0 76,02,276/– (छिहत्तर लाख दो हजार दो सौ छिहत्तर) रूपये मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि के व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।**

विकसित बिहार के सात निश्चय के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक जिले में भवन निर्माण विभाग के माध्यम से जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र का निर्माण कराया गया है।

2. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, किशनगंज, बक्सर एवं पटना में भवन एवं अन्य संरचनाओं की मरम्मति संबंधी कार्य हेतु अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार एवं जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा संबंधित अधीक्षण अभियंता से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु समर्पित किया गया है, जो इस प्रकार है :–

क्र0	जिला	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि
1	2	3	4
1	किशनगंज	Renovation to E/I of Campus Light in DRCC office, Kishanganj, Dist. Kishanganj	6,92,776/-
2	बक्सर	Repair and Maintenance and Supplying and Installation Furniture of DRCC Building (Including Campur) at dist Buxar for the year 2024-25	60,53,600/-
3	पटना	Admin Cabin at DRCC Office-Patna for Year 2024-25	3,20,100/-
		Call Center at DRCC Office Patna, Patna for Year 2024-25	5,35,800/-
		कुल	**76,02,276/-**

3. उपर्युक्त वर्णित परिपेक्ष्य में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र किशनगंज, बक्सर एवं पटना के नाम के सामने अंकित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए संबंधित जिला योजना पदाधिकारी को प्रशासनिक स्वीकृति के समतुल्य राशि कुल मो0 76,02,276/– (छिहत्तर लाख दो हजार दो सौ छिहत्तर) रूपये का व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति की जाती है।

4. उपर्युक्त योजना का क्रियान्वयन संबंधित जिला के कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा। जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के अनुरक्षण एवं मरम्मति कार्य हेतु राशि जिला योजना पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी। संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग द्वारा जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के कार्य पूर्ण कराने के उपरांत मापीपुस्त के अनुसार राशि की मांग संबंधित जिला योजना पदाधिकारी से की जाएगी। जिला योजना पदाधिकारी द्वारा मांग के अनुरूप जिला पदाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करते हुए नियमानुसार CFMS के माध्यम से राशि संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

5. उपर्युक्त योजना की कुल प्राक्कलित राशि मो0 76,02,276/– (छिहत्तर लाख दो हजार दो सौ छिहत्तर) रूपये का वहन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में बजट शीर्ष "मुख्य शीर्ष 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष 60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष 200–अन्य कार्यक्रम, मांग संख्या 35, उप शीर्ष 0117–मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना 35- 2235602000117" के अन्तर्गत विषय शीर्ष 27–02 अनुरक्षण एवं मरम्मति कार्य के तहत उपबंधित राशि से किया जाएगा।

6. आवंटित राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में अन्य योजनाओं पर नहीं किया जाएगा।

P.T.O.

7. उक्त कार्य पूर्ण करने की समय अवधी 3 माह होगी। निरधारित समय सीमा के अंदर कार्य पूण करते हुए पूर्णता–सह–उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित जिला योजना पदाधिकारी द्वारा विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाएगा।

8. उक्त स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

9. उक्त प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

24.2.25

(हिमांशु कुमार राय)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः यो09 / S.H.A-12/2023 1206 / यो0वि0,पटना,दिनांक 24 फरवरी, 2025
प्रतिलिपिः संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.2.25
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः यो09 / S.H.A-12/2023 1206 / यो0वि0,पटना,दिनांक 24 फरवरी, 2025
प्रतिलिपिः विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार / सहायक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग / विभागीय लेखा एवं बजट शाखा / आई0टी0 मैनेजर, योजना एंव विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.2.25
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः यो09 / S.H.A-12/2023 1206 / यो0वि0,पटना,दिनांक 24 फरवरी, 2025
प्रतिलिपिः क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, पूर्णियाँ एवं पटना / अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, भवन निर्माण विभाग, पूर्णियाँ एवं पटना / संबंधित जिला योजना पदाधिकारी / संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.2.25
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः यो09 / S.H.A-12/2023 1206 / यो0वि0,पटना,दिनांक 24 फरवरी, 2025
प्रतिलिपिः प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ एवं पटना / जिला पदाधिकारी, किशनगंज, बक्सर एवं पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.2.25
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः यो09 / S.H.A-12/2023 1206 / यो0वि0,पटना,दिनांक 24 फरवरी, 2025
प्रतिलिपिः सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.2.25
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः यो09 / S.H.A-12/2023 1206 / यो0वि0,पटना,दिनांक 24 फरवरी, 2025
प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.2.25
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः यो09 / S.H.A-12/2023 1206 / यो0वि0,पटना,दिनांक 24 फरवरी, 2025
प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.2.25
सरकार के विशेष सचिव

904